सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आषाढ़ 05, सोमवार, *शाके* 1945-जून 26, 2023 *Asadha 05, Monday , Saka 1945- June 26, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 21, 2023

संख्या प. 35(1) गृह-9 2006पार्ट :-राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि बाडमेर जिले से लगने वाली भारत.पाक सीमा पर घुसपैठिए एवं राष्ट्रविरोधी तत्व सीमा पार कर इस क्षेत्र में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते है। जिससे जन सुरक्षा एवं शान्ति भंग होने का पूर्ण अंदेशा है एवं जिले से सटी हुई पाकिस्तान बार्डर के नजदीक पाकिस्तान में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है जिससे पाकिस्तान से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है। फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे के दृष्टिकोण से पाकिस्तानी मोबाईल सर्विस कम्पनी की सिम के उपयोग करने बाबत् प्रतिबन्ध लगाया जाना नितान्त आवश्यक है।

राज्य सरकार इससे सन्तुष्ट है कि बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा के बाडमेर जिले में सीमावर्ती क्षेत् में अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों के रोके जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 2015 दिनांक 24.05.2023 एवं पाकिस्तान बार्डर पर पाकिस्तानी मोबाईल सर्विस कम्पनी की सिम के उपयोग की अवांछनीय गतिविधियों को रोके जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 2101 दिनांक 24.05.2023 द्वारा लागू किये गये आदेश (प्रतिबन्ध) की अवधि बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 2015 दिनांक 24.05.2023 एवं आदेश क्रमांक 2101 दिनांक 24.05.2023 की अवधि एत्दद्वारा आगामी छः माह तक बढ़ाई जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
सीमा कुमार,
संयुक्त शासन सचिव गृह।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।